न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54/17	27.04.2017	23.03.2018

बइजलास :– तारामती वैष्णव (आर.ए.एस.)

उनवान

1. लाडकंवर पत्नी स्व0 बंशीलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद
2. आशा पुत्री स्व0 बंशीलाल पत्नी रामचरण जाति बैरागी निवासी ग्राम तलावडा जिला बांरा
3. मनीष पुत्र स्व0 बंशीलाल जाति बैरागी
4. महावीर पुत्र स्व0 बंशीलाल जाति बैरागी निवासीगण ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद
5. राधा पुत्री स्व0 बंशीलाल पत्नी सुरेश जाति बैरागी निवासी ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. सावित्री पुत्री स्व0 बंशीलाल पत्नी श्याम जाति बैरागी निवासी ग्राम डायरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद, जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री रघुवीर वैष्णव, वादीगण की ओर से

–::निर्णय::–

वादीगण ने वाद जरिये विद्वान् अभिभाषक विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0 एक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद की पुरानें ख0नं0 170/1 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 170/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा व ख0नं0 170/3 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी। उक्त भूमि दिनांक 08.10.1980 को वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र गोपाल दास बैरागी को नियमानुसार कीमतन आवंटन की गयी, जिसकी राशि वादीगण द्वारा जमा करा दी गयी है। इसके बाद प्रतिवादी के सेटलमेंट विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि

में भू–प्रबंध कार्य किया गया। जिसके आधार पर पुरानें ख0नं0 के ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 कायम किया गया। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त ख0नं0 की भूमि वादीगण के पिता व पति बंशीलाल के नाम दर्ज की की और सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी गई, जबकि ख0नं0 170/1, 170/2, 170/3 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर मिसल नं0 907/80 से दिनांक 14.12.2010 को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जानें बाबत् पत्र जारी किया गया, किन्तु आज दिन तक भी खातेदारी नहीं दी गयी। वादीगण नें उक्त भूमि को वादीगण के खातें दर्ज करानें हेतु दिनांक 21.04.2017 को प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि वादीगण के खातें दर्ज करानें से इन्कार कर दिया तथा उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटन करनें की धमकी दी। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पति व पिता को आवंटित भूमि के नये ख0नं0 की भूमि को वादीगण के खातें दर्ज नहीं किया व अन्य को आवंटन कर दिया गया तो इससे वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही हो सकेगी। वाद कारण आवंटन शुदा भूमि के नये ख0नं0 की भूमि बंशीलाल के खातें दर्ज न कर सिवायचक दर्ज करनें व वादीगण की खातेदारी में दर्ज करनें हेतु दिनांक 21.04.2017 को मना करनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि – ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद के पुरानें ख0नं0 170/1, 170/2, 170/3 की 7 बीघा 15 बिस्वा के अनुसार नये ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें तथा उक्त भूमि गैरखातेदारी से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावें। ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद की नये ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 भूमि प्रतिवादी के सिवायचक खातें से हटायी जाकर वादीगण के खातें दर्ज की जावें। स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद के नये ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य किसी को आवंटन नहीं करें। प्रतिवादी को अमल दरामद करनें हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलायी जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। उक्त जवाब में प्रतिवादी द्वारा अंकित किया गया कि, वाद वर्णित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही कीमत भूमि जमा राज है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद पोषणीय नहीं है। वाद राज्य सरकार के विरूद्ध लाया गया है, जो बिना व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 80(2) के नोटिस से पूर्व लाये जानें से निरस्त योग्य है। उल्लेखनीय है कि भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की होनें के कारण आवंटन/नियमन/विक्रय उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किया गया है तो गैरखातेदारी एवं खातेदारी भी इन्ही नियमों के अन्तर्गत दिये जानें का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में वाद पोषणीय नहीं होनें से निरस्त फरमावें।

वादी के वादपत्र तथा प्रतिवादी के जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये–

1. आया ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद में पुरानें ख0नं0 170/1 की 5 बिस्वा, ख0नं0 170/2 की 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 170/3 की 3 बिस्वा कुल किता 3 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र गोपाल दास को आवंटन की गई थी ?

   –वादीगण

2. आया बाद सेटलमेंट उपरोक्त भूमि के ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 कायम किये गये तथा उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई, जबकि दिनांक 14.12.2010 को मि0नं0 907/80 में उक्त भूमि पर गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जानें बाबत् पत्र जारी किया गया था ?

   –वादीगण

3. आया आवंटित विवादित आराजी पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें के अधिकारी है ?

   –वादीगण

4. आया विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये जानें बाबत् दिनांक 14.12.2010 को कोई आदेश जारी नहीं किया गया ?

   – प्रतिवादी

5. आया आवंटित विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होनें तथा राशि जमा नहीं करानें से, आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होनें से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है ?

   – प्रतिवादी

6. आया विवादित आराजी उपनिवेशन क्षेत्र की होनें के कारण आवंटन/नियमन/विक्रय उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किया गया है तो, गैरखातेदारी से खातेदारी भी इन्ही नियमो के अन्तर्गत दिये जानें का प्रावधान है, जिससे वाद काबिल खारिज है ?

   –प्रतिवादी

7. अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात पक्षकारान् को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये । दौराने साक्ष्य वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

1. शपथपत्र वादी PW 1 लाड कंवर पत्नी स्व0 बंशीलाल जाति बैरागी आयु 61 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. शपथपत्र वादी PW 2 मनीष पुत्र स्व0 बंशीलाल जाति बैरागी आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा
3. छायाप्रति नकल जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम मण्डावरी सं0 2043–62
4. छायाप्रति नकल जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम मण्डावरी सं0 2013–32
5. छायाप्रति सरवरक आवंटन पत्रावली
6. छायाप्रति आवंटन आदेश दिनांक 08.10.1980
7. छायाप्रति आवेदन पत्र बाबत् आवंटन
8. छायाप्रति रसीद सं0 00027

बाद साक्ष्य विद्वान् अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दौहराया। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया गया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी के वादपत्र में वॉच्छित रिलीफ , प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब , वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेज तथा प्रकरण की मूल विषयवस्तु पर विधिक विचार किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में चिंतन एवं मनन किया गया।

तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी नम्बर (1) आया ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद में पुरानें ख0नं0 170/1 की 5 बिस्वा, ख0नं0 170/2 की 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 170/3 की 3 बिस्वा कुल किता 3 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता बंशीलाल पुत्र गोपाल दास को आवंटन की

गई थी ? इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य छायाप्रति आवंटन आदेश कार्यालय अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन), कोटा के आदेश क्रमांक स0का0।उप0।80 दिनांक 08.10.1980 के अनुसार ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद में ख0नं0 170/1, 170/2 व 170/3 की 7 बीघा 15 बिस्वा बंशीलाल पुत्र गोपालदास जाति बैरागी निवासी मण्डावरी को आवंटित होना साबित होता है। अतः यह तनकी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होनें से बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर (2) आया बाद सेटलमेंट उपरोक्त भूमि के ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 कायम किये गये तथा उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई, जबकि दिनांक 14.12.2010 को मि0नं0 907/80 में उक्त भूमि पर गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जानें बाबत् पत्र जारी किया गया था ? इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था। पत्रावली के अवलोकन करनें के उपरान्त यह तथ्य प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा साबिक ख0नं0 170/1, 170/2 व 170/3 से नवीन नम्बर बननें के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि साबिक ख0नं0 170/1, 170/2 व 170/3 से नवील ख0नं0 153 रकबा 2.04 हे0 कायम किये गये हो। जबकि दिनांक 14.12.2010 को कार्यालय तहसीलदार (भू0–अभि0) दीगोद से जारी पत्र यह साबित नहीं करता है कि साबिक ख0नं0 170/1, 170/2 व 170/3 पर बंशीलाल पुत्र गोपालदास को गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, और वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें का अधिकार हो गया है। उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें ख0नं0 170/1, 170/2 व 170/3 की भूमि बंशीलाल पुत्र गोपालदास की गैरखातेदारी में दर्ज हो। अतः यह तनकी दस्तावेजात् से प्रमाणित नहीं होनें से खिलाफ् वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर (3) आया आवंटित विवादित आराजी पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें के अधिकारी है ? इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके आधार पर वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें के अधिकारी हो। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर (4) आया विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये जानें बाबत् दिनांक 14.12.2010 को कोई आदेश जारी नहीं किया गया ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था। किन्तु वादीगण द्वारा अपनें वाद पत्र में कार्यालय तहसीलदार (भू0–अभि0) दीगोद से जारी नोटिस दिनांक 14.12.2010 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें का आधार बनाया है। जबकि उक्त नोटिस के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि विवादित आराजी पूर्व में गैरखातेदारी में दर्ज थी। उक्त नोटिस मात्र आवंटी को सूचनार्थ जारी किया जाता है। जिसकी पालना कार्यालय में पत्रावली के निरीक्षण उपरान्त पत्रावली की स्थिति अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होती है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर (5) आया आवंटित विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होनें तथा राशि जमा नहीं करानें से, आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होनें से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार एवं पटवारी पटवार हल्का कोटसुवा की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.06.2017 के अनुसार आवंटी या उसके वारिसान का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होनें के कथन अंकित किये है। उपरोक्तानुसार आवंटी या उसके वारिसान का विवादित आराजी पर कब्जा प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जें के खातेदार अधिकार दिया जाना संभव नहीं है।

तनकी नम्बर (6) आया विवादित आराजी उपनिवेशन क्षेत्र की होनें के कारण आवंटन/नियमन/विक्रय उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किया गया है तो, गैरखातेदारी से खातेदारी भी इन्ही नियमो के अन्तर्गत दिये जानें का प्रावधान है, जिससे वाद काबिल खारिज है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि विवादित आराजी आवंटित भूमि है, जो नियमानुसार आवंटित की जाती है। उक्त सम्बन्ध में उपनिवेशन नियमों के अनुसार ही आवंटी खातेदारी अधिकारी प्राप्त करनें का अधिकारी प्रतीत होता है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

अनुतोष–तनकी नम्बर 1 ता 6 की विवेचना तथा विश्लेषण के आधार पर वादीगण प्रकरण में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

अतः दावा वादीगण खारिज़ किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनॉक 23/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद